

क्रमांक 5360/विश्व/88 बिलासपुर, दिनांक 7-9-88

आदेश

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वायुमैत्री सुंड इंकरेशन सोडो अध्यापन विभाग में श्री प्रबोध तिवारी की नियुक्ति व्याख्याता के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर जो विश्व-विद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है। वेतनमान रुपये 700-1600 में सूबेदान 700/- प्रतिमाह एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार देय भत्तों पर गुरु.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 परिनियम एवं अध्यादेश में निर्दिष्ट सेवा शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से की जाती है।

आदेशानुसार.

रामचंद्र परमार उप-कुलसचिव

पु.क्र. 5361/स्वा.प्रशा./88 बिलासपुर, दिनांक 7-9-88

प्रतिलिपि:-

- श्री प्रबोध तिवारी, 39 सरस्वती नगर, विश्वविद्यालय रोड, बिलासपुर, स्वासियर को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेक्षित. उनकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की गई है, किन्तु किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं की जायेगी.
- उन्हीं कार्यभार ग्रहण करने के समय स्वास्थ्य एवं शारीरिक रूप से योग्य होने संबंधी मुख्य चिकित्सक, बिलासपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. यदि किसी सेवा में हो तो पूर्व सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत कर स्वीकृति संबंधी आदेश एवं विभाग से कार्यभार ग्रहण करने संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
- उनकी यह नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि यदि

वे स्वयं सेवा से अलग होना चाहें तो उस स्थिति में उन्हें एक माह के पूर्व उक्त आशय की सूचना देनी होगी अथवा उसके स्वयं में एक माह से पूर्व वेतन की राशि देय होगी। यदि परीक्षा अवधि में उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके स्वयं में एक माह का पूर्व वेतन देकर सेवा से अलग किया जा सकेगा।

- उनकी सेवाएं वात-चालन संबंधी शर्तों में उपयुक्त एवं अच्छा पड़े जाने पर ही देय होगी।
- आदेश की प्राप्ति के दिन से तीस दिन के भीतर पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिए अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।
- वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाई अत्रेक्षित। इस नियुक्ति पर होने वाला स्वयं विभागत बजट के अंतर्गत स्थापना व्यय में दिक्कतीय होगा।
- तकिय, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को सूचनाई अत्रेक्षित।
- मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान प्रायोग, भोपाल को सूचनाई अत्रेक्षित।
- सहा. संचालक, आवासीय, अखिल भावा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाई अत्रेक्षित।
- गन्वयात, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाई अत्रेक्षित।

उप-कुलसचिव प्रशा.